प्रतिबन्ध

(ओमेक्स इंटीग्रेटेड टाउनशिप का संशोधित विन्यास मानचित्र दिनांक 17.12.2016)

1	शासन पत्र दिनांक 17.01.2017 के अनुसार क्रय योग्य एफएसआइ शुल्क की मांह जनवरी 2017 तक देय किश्तों को तीन माह के अन्दर प्रत्येक दशा मे जमा करना होगा।
2	विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास कार्य कर सकेगा जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता के पक्ष मे निबन्धनुसार एवं विधिक रूप से हस्तगत हो चुका हो।
3	टाउनशिप क्षेत्र के अन्तर्गत-आने वाली ऐसी भूमि जिसका स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति के नाम है उस पर विकासकर्ता तब तक कोई विकास कार्य नहीं करेगा जब तक कि इस भूमि का स्वामित्व विधिक रूप से प्राप्त न कर लें।
4	टाउनशिप क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली ग्राम समाज, सरकारी भूमि व सीलिंग भूमि का विधिवत तीन डीम निस्तारित होने एवं कब्जा प्राप्त होने के पश्चात ही उक्त भूमि पर विकासकर्ता विकास कार्य कर सकेगा।
5	विकासकर्ता द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की संशोधित अनापत्ति 3 माह के अन्तर्गत प्रत्येक दशा मे प्रस्तुत करना होगा। ऐसा न होने की दशा में मानचित्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।
6	प्रश्नगत स्वीकृति ले–आउट प्लान के उत्तरी भू–भाग के लिये मान्य होगी जिसका स्वामित्व विकासकर्ता के पक्ष में प्राप्त है।
7	विकासकर्ता द्वारा प्राधिकरण के साथ शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर निम्नवित विकास अनुबन्ध के अनुरूप स्थल पर विकास कार्य सुनिश्चित करना होगा।
8	टाउनशिप क्षेत्र के विकास कार्यों के फलस्वरूप विस्थापित होने वाले व्यक्तियों (यदि कोई हो) के लिये 10.00 सरकार की पुनर्वास नीति के अनुसार पुनर्वास की व्यवस्था करनी होगी।
9	विभिन्न सामुदायिक सुविधाओं यथा–पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज एवं इलेक्ट्रिक सब स्टेशन आदि हेतु आरक्षित भूमि को यथा समय सम्बन्धित विभागों को निःशुल्क हस्तांतरित करना होगा।
10	ग्रे–स्थानिय के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद की जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी। प्राधिकरण इसके लिये जिम्मेदार नहीं होगा।
11	टाउनशिप का समस्त विकास कार्य पूर्ण होने, प्रस्तावित डीम दृष्टिया तथा सामुदायिक सुविधाओं का विकास कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा। पूर्व स्वीकृत विन्यास मानचित्र दिनांक 27.07.2016 के अनुसार टाउनशिप के अन्दर की जा रही पूर्व महाभोजना डीम सोजन्य–30671.62 .वर्गमीटर .तथा किसी निर्माण/विकास कार्य की स्वीकृति प्रदान की जायेगी, जब विन्यास मानचित्र के अनुसरण टाउनशिप के अन्तर्गत समस्त डीम तथा सामुदायिक सुविधाओं हेतु आरक्षित भूमि/भूखण्ड की पृथकभजना तथा उसका विकास कार्य सुनिश्चित करना होगा।
12	स्थल पर मानचित्र स्वीकृति का विवरण दर्शाते हुए एक सूचना फ्लेट लगाना होगा।
13	संशोधित विन्यास मानचित्र के अनुरूप स्थल पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
14	संशोधित विन्यास मानचित्र के अनुरूप स्थल पर लेन्ड स्केपिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
15	पब्लारलैन्स गारन्टी के रूप में संशोधित विन्यास मानचित्र में दर्शित 25 प्रतिशत रूपक भूमि को प्राधिकरण की अनुमति के बगैर विकासकर्ता विक्रय/आवंटन नहीं कर सकेगा तथा रूपक भूमि का तीन माह के अन्तर्गत (आवश्यकतानुसार) संशोधित रूपक विवेक निस्तारित करना होगा।
16	इंटीग्रेटेड टाउनशिप हेतु जारी शासनादेशों में प्राधिकारित समस्त निर्देशों का अनुपालन विकासकर्ता को सुनिश्चित करना होगा।
17	संशोधित विन्यास मानचित्र के अनुरूप टाउनशिप का समस्त विकास कार्य शासनादेशों एवं मानकों के अनुरूप पूर्ण करना होगा तथा लेबर एवंट का अनुपालन करते हुए आवश्यक सुविधायें उपलब्ध करनी होगी।
18	टाउनशिप के विकास हेतु यदि विकासकर्ता द्वारा स्थल पर उपलब्ध ट्रंक सुविधाओं से कोई कनेक्टिविटी लिया जाता है तो प्राधिकरण की मांग के अनुरूप उसे कनेक्टिविटी चार्जेज 15 दिन के अन्दर जमा करना होगा।
19	इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अनुरूप टाउनशिप का समस्त आवंटित एवं सहायक विकास कार्य विकासकर्ता को ही पूर्ण करना है। उपरोक्त के अतिरिक्त यदि प्राधिकरण द्वारा किसी कनेक्टिविटी, बन्ध निर्माण शुल्क अथवा विकास शुल्क इत्यादि की मांग की जाती है तो उसे प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा।
20	संशोधित विन्यास मानचित्र में दर्शित आवासीय, व्यवसायिक, संस्थागत व अन्य भूखण्डों पर भवन निर्माण के पूर्व प्राधिकरण से भवन मानचित्र स्वीकृत कराकर ही निर्माण कार्य करना होगा।
21	संशोधित विन्यास मानचित्र के अन्तर्गत स्थित प्रस्तुतित सडकों व 60M–बफरों को मूल स्वरूप में संरक्षित करना होगा।
22	कॉलोनी के अन्तर्गत पहले वाली प्रत्येक आवश्यकों का विकास मार्गों की भूमि का अधिग्रहण एवं विकास, वाटर पम्पहाउ, सीवर, ड्रेनेज, गार्डेन विरोधेजल आदि समस्त अवस्थापना सुविधाओं का विकास विकासकर्ता द्वारा पूर्ण रूप से किया जाना होगा तथा स्थानीय संस्थाओं को हस्तान्तरित होने तक विकास के साथ–साथ अवस्थापना सुविधाओं के रख–रखाव एवं क्रियाशील रखने की समूर्ण जिम्मेदारी विकासकर्ता की ही होगी।
23	प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन के पत्र संख्या–7347/सा/आठ्मु0080/2017 दिनांक 12.01.2017 के अनुरूप शासन द्वारा निर्धारित किये जाने के बाद बन्ध निर्माण शुल्क अवश्य जमा कराना होगा।
24	विकासकर्ता द्वारा उपरोक्त वर्णित शर्तों का अनुपालन न करने की दशा में उक्त मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी। टाउनशिप हेतु कार्य समाप्त तिथि पूर्व निर्धारित समाप्त तिथि दिनांक 27.02.2018 ही मान्य होगी।

भवन निर्माण प्रारंभ करने पूर्व भवन मानचित्र और विकास मानचित्र 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत इस संबंध में लीज विलेख बनाया है कि विकास प्राधिकरण भूमि विभाग स्थानीय के लिए विलेख बाध्य नहीं है।

कार्यालय विकास प्राधिकरण विकास क्षेत्र, लखनऊ
स्वीकृत
परमिट संख्या 41134
दिनांक 16/2/2017
स्वीकृत की वैधता दिनांक 27/02/2018
अधिशासी अभियन्ता

उपाध्यक्ष महोदय के अनुमोदन 15.06.2018 के अनुपालन में प्रश्नगत विन्यास मानचित्र की वैधता अवधि पूर्व निर्धारित शर्तों के अधीन अग्रिम तीन वर्षों तक अर्थात दिनांक 26.02.2021 तक नवीनीकृत/विस्तारित की जाती है।

शशि भूषण मिश्र
अधिशासी अभियन्ता
मा०/डाइरेक्ट/इन्टी० सेल
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

अतुल अग्रवाल
अधिशासी अभियन्ता
मा०/डाइरेक्ट/इन्टी० सेल
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

पूर्णेन्द्र वीर सिंह
अधिशासी अभियन्ता
मा०/डाइरेक्ट/इन्टी० सेल
लखनऊ विकास प्राधिकरण
लखनऊ

GROUP HOUSING DETAILS		
SL.NO.	DESCRIPTION	AREA IN SQ-MT.
1	GROUP HOUSING - 1	44976.53
2	GROUP HOUSING - 2	46486.51
3	GROUP HOUSING - 3	18288.81
4	GROUP HOUSING - 4	69116.57
5	GROUP HOUSING - 5	9980.88
6	GROUP HOUSING - 6	7701.74
TOTAL		196551.04
EWS/LIG GROUP HOUSING DETAILS		
6	GROUP HOUSING - 6	13736.05
7	GROUP HOUSING - 7	11550.48
TOTAL		25286.53
TOTAL AREA OF GROUP HOUSING		221837.57

TOTAL SALEABLE LAND	
DESCRIPTION	IN Sq-Mt.
GROUP HOUSING	196551.04
EWS & LIG	25286.53
COMMERCIAL	16545.07
EDUCATION	38649.86
CLUB & COMMUNITY	3223.55
HEALTH FACILITY	3908.36
TOTAL	284164.41
25% OF TOTAL SALEABLE AREA	71041.10
AREAS TO BE PLEDGED	
[M1]	12139.84
[M2]	18288.81
[M3]	1520.00
[M4]	2662.51
[M5]	9980.88
[M6]	3223.55
[M7]	3448.40
[M8]	6851.22
[M9]	7465.21
[M10]	2388.26
[M11]	1068.71
[M12]	516.94
[M13]	504.36
[M14]	2129.09
TOTAL	72187.78

PUBLIC & SEMI PUBLIC FACILITY		
SL.NO.	DESCRIPTION	AREA IN SQ-MT.
1	Education Facility-1	11189
2	Education Facility-2	2662.51
3	Education Facility-3	4223.57
4	Education Facility-4	6132.32
5	Education Facility-5	6851.22
6	Education Facility-6	4142.84
7	Education Facility-7	3448.4
8	S.T.P	2240
9	HEALTH CENTER-1	1520.1
10	HEALTH CENTER-2	2388.26
11	C.W.M.H	2854.5
12	33KVA ESS	2013.15
13	CLUB/COMMUNITY CENTRE	3223.55
14	POLICE CHOWKY	3448.4
15	GARBAGE DISPOSAL	920.89
16	INFORMAL SECTOR	180
	TOTAL	57438.71

COMMERCIAL PLOTS		
SL.NO.	DESCRIPTION	AREA IN SQ-MT.
1	COMMERCIAL-1	12139.84
2	SECTOR SHOPPING-1	2276.14
3	SECTOR SHOPPING-2	2129.09
5	TOTAL	16545.07

GREEN AREA DETAILS		
SL.NO.	DESCRIPTION	AREA IN SQ-MT.
1	GREEN/PARK-1	4899.62
2	GREEN/PARK-2	7211.97
3	GREEN/PARK-3	483.24
4	GREEN/PARK-4	3125.99
5	GREEN/PARK-5	3020.15
6	GREEN/PARK-6	3020.15
7	GREEN/PARK-7	220.14
8	GREEN/PARK-8	1629.95
9	GREEN/PARK-9	11524.49
10	GREEN/PARK-10	3689.09
11	GREEN/PARK-11	6528.13
12	GREEN/PARK-12	2243.35
13	GREEN/PARK-13	8354.52
14	GREEN/PARK-14	1378.92
15	HT LINE GREEN	5798.08
	TOTAL	63127.79

WATER BODY DETAILS		
SL.NO.	DESCRIPTION	AREA IN SQ-MT.
1	WATER BODY-W1	2805.49
2	WATER BODY-W2	830.72
3		
4		
5	TOTAL	3636.21

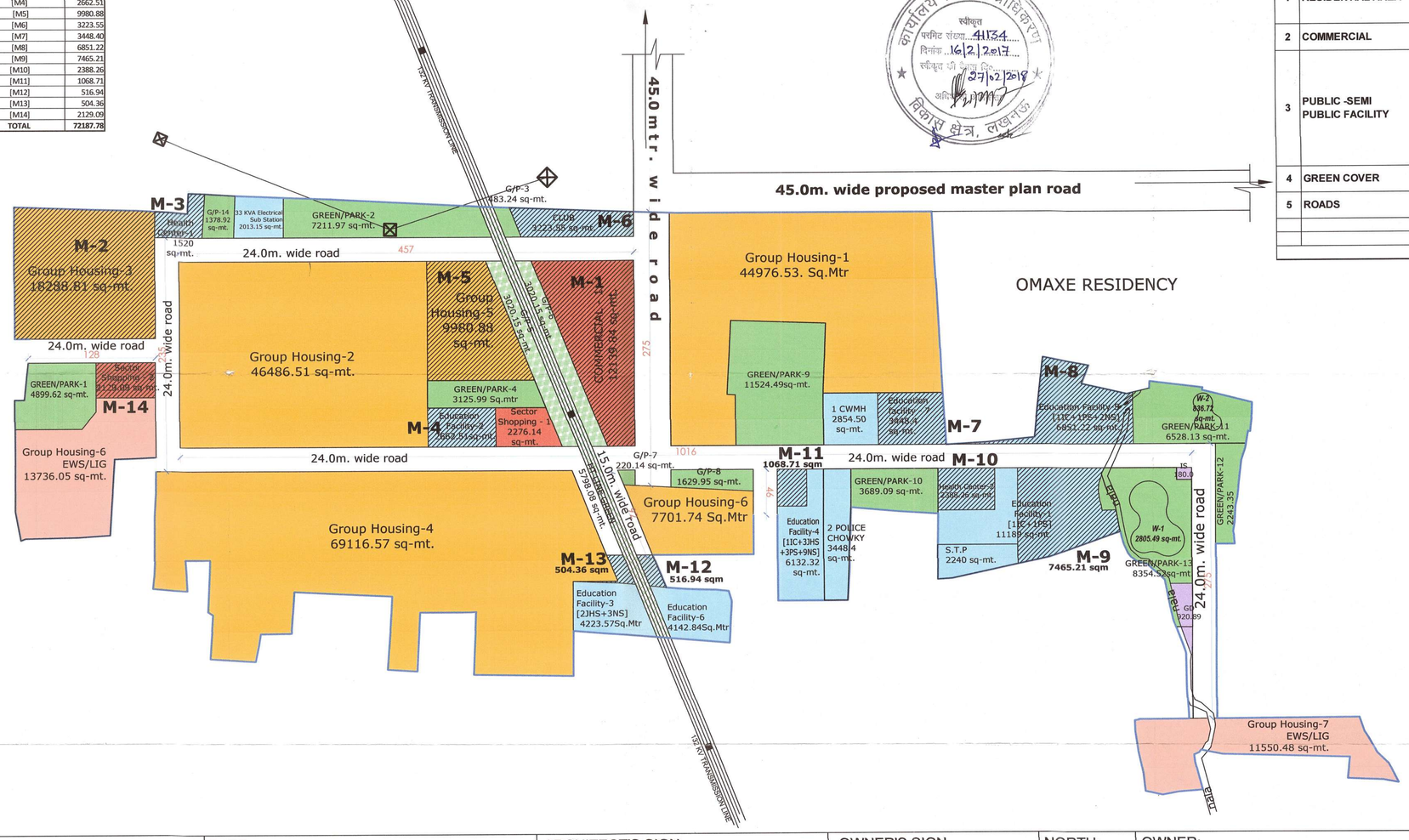

LAND DETAILS

SL.NO.	DESCRIPTION	IN SQ-MT.	IN ACRE
1	PLOT AREA	419453.80	103.62
2	NET PLOT AREA	419453.80	103.62

LAND USE DISTRIBUTION AS PER LAYOUT PLAN

S.NO	DESCRIPTION		AREA IN SQ.MT.	IN ACRE	HAC.	% ACHIEVED
1	RESIDENTIAL AREA	GROUP HOUSING	196551.04	48.56	19.66	
		EWS & LIG	25286.53	6.25	2.53	
		SUB TOTAL	221837.57	54.81	22.19	52.90
2	COMMERCIAL	COMMERCIAL	16545.07	4.09	1.65	
		SUB TOTAL	16545.07	4.09	1.65	3.95
3	PUBLIC -SEMI PUBLIC FACILITY	EDUCATIONAL	38649.86	9.55	3.86	
		HEALTH	3908.36	0.97	0.39	
		CLUB & COMMUNITY	3223.55	0.80	0.32	
		ELECTRICAL	2013.15	0.50	0.20	
		C.W.M.H	2854.50	0.71	0.29	
		POLICE CHOWKY	3448.40	0.85	0.34	
		GD & IS	1100.89	0.27	0.11	
		S.T.P.	2240.00	0.55	0.22	
		SUB TOTAL	57438.71	14.20	5.73	13.70
4	GREEN COVER	PARKS & OPEN	63127.79	15.59	6.31	15.05
		SUB TOTAL	63127.79	15.59	6.31	15.05
5	ROADS	ROAD	60504.66	14.93	6.07	14.41
		SUB TOTAL	419453.80	103.62	41.95	100.00
		TOTAL	419453.80	103.62	41.95	100.00

DENSITY CALCULATION

Group Housing		
Area of Group Housing	196551.19 19.66	Sq.Mt. Hac.
Permissible Ground Coverage	35%	
Permissible F.A.R.	Permissible FAR(2.5) + Purchasable FAR(1.25) = Total FAR 3.75	
Permissible Density	@ 330 unit/hac. Or @1650 Persons/Hac.	
Permissible Units	6486.18 SAY 6486	
Achieved Units	5816	
Achieved Population @ 5 Persons / Unit	29080	
Group Housing For EWS & LIG		
Area of Group Housing	25286.53 2.529	Sq.Mt. Hac.
Permissible Ground Coverage	50%	
Permissible F.A.R.	3	
Achieved Density	@ 575 unit/hac. Or @2875 Persons/Hac. [{(500(LIG)+650(EWS)}/2=575Units/Hac]	
Achieved Units	1454	
Achieved Population @ 5 Persons / Unit	7270	

Provision of EWS and LIG Units				
Total Units including EWS and LIG units		5816	1454	7270
Required no.@10 %		Provided no.		
LIG	727	727	10.00	%
EWS	727	727	10.00	%
Total Units	1454	1454		

Total Population	Pop.Of Group housing	Pop.Of EWS/LIG	Total
	29080	7270	36350

Density Achieved (Including EWS/LIG)			
Total Population	Total Population 36350		36350
Population/Net plot Area	866.64		
Density Achieved	Say	867	persons/hac.

PROVISION MADE AS PER BYE LAWS

INCLUDING EWS/LIG POPULATION

POPULATION		37025	
Facility	Required for Persons	Required no. of Facilities	Provided no. of Facilities
Educational			
Nursery	2500	15	15
Primary	5000	7	7
High School	7500	5	5
Inter College	10000	4	3
Health			
Health center	15000	2	2
Child welfare and maternity homes	45000	1	1
Telecommunication and others			
Sub Post Office	10000	4	4
Police Chowky with residence for employees	15000	2	2
Computerized rail reservation counter	5000	7	7
Extension counter with ATM	15000	2	2
ESS 33 kva	30000	1	1
Informal Sector [IS]			2
Garbage Disposal [GD]			2
Social and Cultural			
Community center	25000	1	1

REVISED LAYOUT PLAN OF OMAXE INTEGRATED TOWNSHIP AT SULTANPUR ROAD, LUCKNOW

DATE:- 10.12.2016

SCALE:- 1:2500

ARCHITECT'S SIGN:- Deepak Vashisht CA/2003/325

OWNER'S SIGN — OMAXE LIMITED LUCKNOW

NORTH:

OWNER:- OMAXE LTD.
7, Local Shopping Centre, Kalkaji,New Delhi

GH-1 (Grand Omaxe) Phase - 2 {UPRERAPRJ775}

GH-1 (Grand Omaxe) Phase - 3 {UPRERAPRJ1181}

GH-1 (Grand Omaxe) Phase - 4 {UPRERAPRJ1550}

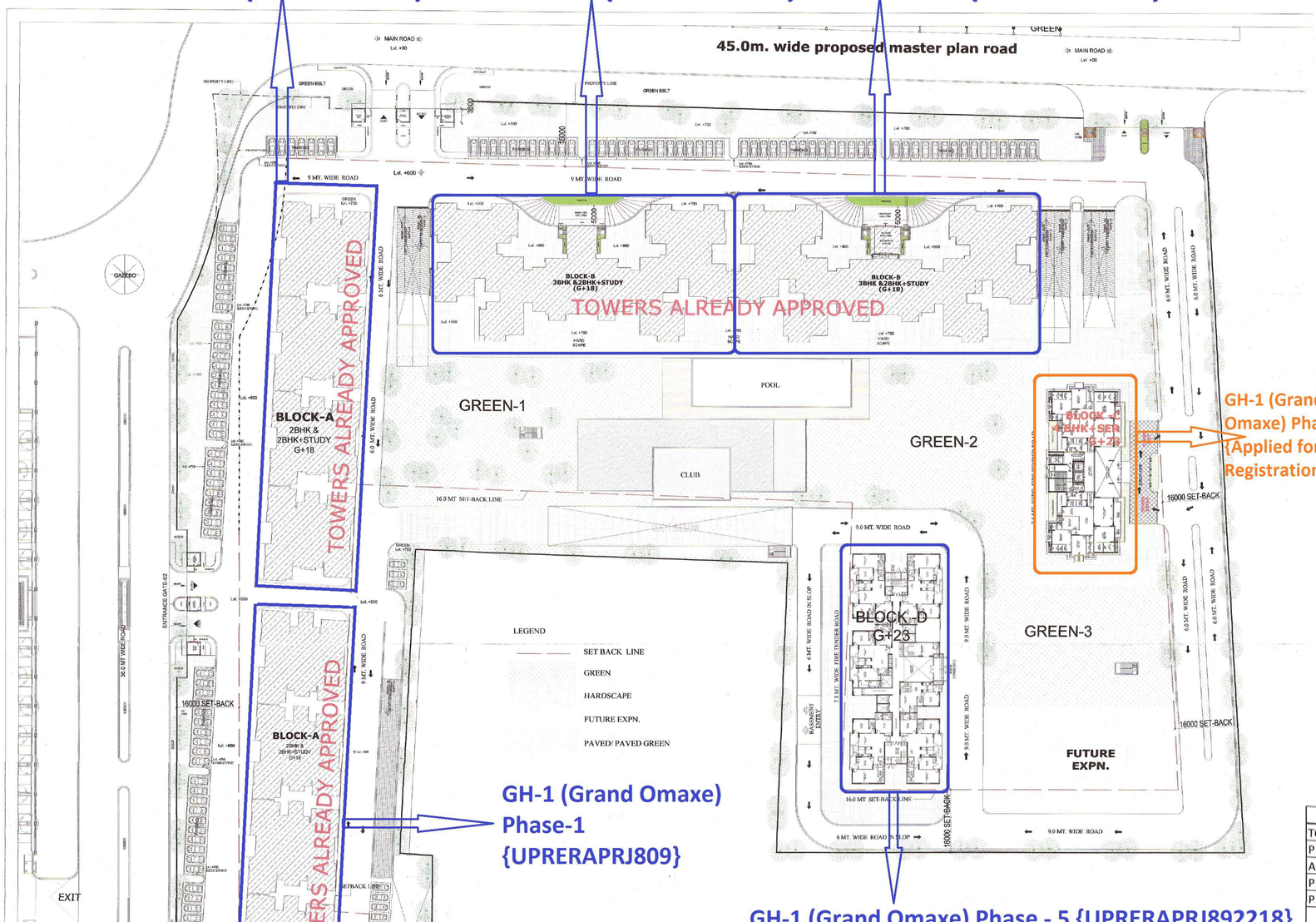

GH-1 (Grand Omaxe) Phase - 6 {Applied for RERA Registration}

GH-1 (Grand Omaxe) Phase-1 {UPRERAPRJ809}

GH-1 (Grand Omaxe) Phase - 5 {UPRERAPRJ892218}

प्रतिबन्ध

1. भू–स्वामित्व तथा भूमि वाद–विवाद के सम्बन्ध में प्राधिकरण की कोई जिम्मेदारी नही होगी। विकासकर्ता केवल उसी भूमि पर विकास/निर्माण कार्य कर सकेगा, जिस भूमि का स्वामित्व व कब्जा विकासकर्ता कम्पनी के नाम है। भूखण्ड के जिन खसरा नम्बर का स्वामित्व ग्राम सभा की भूमि व अन्य की भूमि होने के कारण विकासकर्ता के पक्ष में नही है, उस भाग पर विकासकर्ता तब तक कोई निर्माण या विकास कार्य नही करेगा जब तक कि उस भाग का पुनर्ग्रहण/अधिग्रहण/भूमि क्रय की कार्यवाही विकासकर्ता के पक्ष में न हो जाये।
2. वर्तमान शासनादेश के क्रम में लैण्ड स्केपिंग प्लान के अनुसार वृक्षारोपण अनिवार्य होगा।
3. स्ट्रक्चरल ड्राइंग व जिओड्रन, प्रमाण पत्र, इन्स्टीटिट्यूट आफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नालाजी, डिपार्टमेन्ट आफ सिविल इन्जीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर डा० एल०पी० शुक्ला द्वारा पत्र सं० IET/CE//AKS-2020-494 Date- 11-12-2020 के माध्यम से पैट करा कर प्रस्तुत किया गया है, जिसका अनुपालन करना होगा।
4. लैण्ड स्केपिंग प्लान व सर्विसेज प्लान के अनुरूप स्थल पर भी विकास कार्य पूर्ण करने होगे।
5. मुख्य अग्निशमन अधिकारी लखनऊ के द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र सं० UPFS/2020/23701/L.CK/LUCKNOW/1504/DD दिनांक 23.10.2020 की शर्तो का अनुपालन करना होगा।
6. पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
7. रेनवाटर हार्वेटिंग एवं सोलर वॉटर सिस्टम का स्थल पर अधिष्ठापन शासनादेष के अनुसार पूर्ण करना होगा।
8. लेबर एक्ट का अनुपालन करना होगा एवं लेबर सेस शुल्क का नियमानुसार भुगतान करते हुए प्राधिकरण को सूचित करना होगा।
9. स्थल पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों हेतु रैम्प का निर्माण एवं बाधारहित सुविधाओं का विकास करना होगा।
10. स्थल पर मानचित्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचनापट् लगाना होगा।
11. यदि कोई देनदारी निकलती है तो प्राधिकरण द्वारा मॉगे जाने पर अविलम्ब जमा करना होगा।
12. रेरा एक्ट, अपार्टमेन्ट एक्ट/रूल्स का पालन करना होगा।
13. स्थल के पूर्व स्वीकृत मानचित्र के कम में यदि विकासकर्ता/भू–स्वामी द्वारा सम्मलित्यां का क्रय–विक्रय किया गया है तो उनके समायोजन का उत्तरदायित्व आवेदक का स्वयं का होगा। रेरा एक्ट के प्राविधानों का पालन करना होगा। इस हेतु सपथ पत्र मानचित्र निर्गत से पूर्व प्रस्तुत करना होगा।
14. यदि भविष्य मे ऐसी कोई बात प्रकाश मे आती है कि विकासकर्ता द्वारा कोई तथ्य छुपा कर मानचित्र की स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा किसी प्रतिबन्ध का अनुपालन नही किया जा रहा है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जाएगा।
15. देय योग्य एफ०ए०आर० की अवशेष धनराशि को किस्तों में देय सब्याज जमा कराना होगा।
16. स्थल के पूर्व स्वीकृत मानचित्र की शर्ते प्रश्नगत मानचित्र पर यथावत प्रभावी होगी।

फार्म मानचित्र उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अन्तर्गत इस प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया जाता है कि विकास प्राधिकरण भूमि नियंत्रण एवं विनियमन के लिए जिम्मेदार नहीं है।

कार्यालय विकास प्राधिकरण
स्वीकृत
पत्रावलि संख्या- 42975
दिनांक- 08-08-2019
स्वीकृति की वैधता दि० 07-08-2024
अधिशासी अभियन्ता
विकास क्षेत्र, लखनऊ

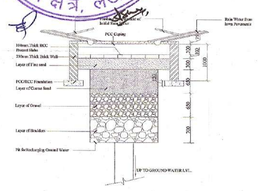

RAIN WATER HARVESTING

This drawing is a "COPYRIGHT" contents of this drawing or part thereof may not be used or reproduced without the permission of the Architect

NORTH

PROJECT:-

PROPOSED GROUP HOUSING-1 AT KHASRA NO 400,401,402,403,404, 405,406,408(P), 409-410, 411-412(P),480 (P) ,497 & 446(G.S), IN OMAXE INTEGRATED TOWNSHIP AT SULTANPUR ROAD , LUCKNOW (U.P.)

NOTES

PRIVIOUS APPROVED AREA STATEMENT OF GH-1					
SL. NO.	DESCRIPTION	AREA			
		No./(%)	(sq.m.)	(acres)	(hac)
1	PLOT AREA	100	44627.00	11.02	4.46
2	REQUIRED GREEN(10% OF PLOT AREA)	10	4,462.70	1.1	0.45
3	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE(35%OF PLOT AREA)	35%	15,619.45		
4	PERMISSIBLE FAR(2.5 OF PLOT AREA)	2.5	111,567.50		
5	REQUIRED WATER BODY @5% OF GREEN AREA		223.14		
6	PERMISSIBLE FLATS (@330 flats /hectare)	1,472	FLATS		
7	REQUIRED NO. OF TREES @ 50 NOS /HAC	223	TREES		
8	REQUIRED NO. OF PARKING	1347	ECS		
9	REQUIRED NO. OF VISITOR PARKING@ 10% OF TOTAL REQUIRED PARKING	135	ECS		
ACHIEVED AREAS:					
10	ACHIEVED GROUND COVERAGE	21.04%	9,391.15	2.32	0.94
11	ACHIEVED FAR (2.5 FAR+PURCHASABLE)	2.99	133,299.46	32.93	13.33
12	PROVIDED WATER BODY @5% OF GREEN AREA		260.65		
13	PROVIDED GREEN	11.68%	5,213.0		
14	PROVIDED NO. OF TREES	230	TREES		
15	ACHIEVED FLATS	1,244	FLATS	6220	PERSONS
17	PROVIDED NO. OF PARKING (On Surface)	228	ECS	1505	
	(In basement(Double)@1car/32sqm)	1277	ECS		

APPLIED REVISED SUBMISSION AREA STATEMENT OF GH-1					
SL. NO.	DESCRIPTION	AREA			
		No./(%)	(sq.m.)	(acres)	(hac)
1	PLOT AREA	100	44976.53	11.11	4.5
2	REQUIRED GREEN(10% OF PLOT AREA)	10	4,497.65	1.11	0.45
3	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE(35%OF PLOT AREA)	35%	15,741.79		
4	PERMISSIBLE FAR(2.5 OF PLOT AREA)	2.5	112,441.33		
5	REQUIRED WATER BODY @5% OF GREEN AREA		224.88		
6	PERMISSIBLE FLATS (@330 flats /hectare)	1,485	FLATS		
7	REQUIRED NO. OF TREES @ 50 NOS /HAC	225	TREES		
8	REQUIRED NO. OF PARKING	1306	ECS		
9	REQUIRED NO. OF VISITOR PARKING@ 10% OF TOTAL REQUIRED PARKING	131	ECS		
ACHIEVED AREAS:					
10	ACHIEVED GROUND COVERAGE	19.30%	8,678.92	2.14	0.87
11	PRIVIOUS APPROVED F.A.R. AREA	2.99	133,299.46	32.93	
12	APPLIED ACHIEVED FAR (2.5 FAR+PURCHASABLE)	3.06	137,511.79	33.97	13.75
13	DIFRENCE PRIVIOUS & APPLIED F.A.R. AREA	0.09	4,212.33		
14	PROVIDED WATER BODY @5% OF GREEN AREA		329.25		
15	PROVIDED GREEN	14.64%	6,585.0		
16	PROVIDED NO. OF TREES	138	TREES		
17	ACHIEVED FLATS	1,211	FLATS	6055	PERSONS

PURCHASABLE F.A.R CALCULATION SHEET	
TOTAL PLOT AREA	44976.53 SQ.MT.
PERM. F.A.R. @ 2.5	112441.32 SQ.MT.
ACHIVED F.A.R. @ 3.06	137511.75 SQ.MT.
PRIVIOUS APPROVED PURCHASABLE F.A.R.	21731.96 SQ.MT.
PURCHASABLE F.A.R. TO BE APPROVED	3338.50 SQ.MT.

AREA DETAILS

NAME	TYPE		Ground Coverage	Ground/Stilt	1st	2nd	3rd	4th	5th	6th	7th	8th	9th	10th	11th	12th	13th	14th	15th	16th	17th	18th	19th	20th	21st	22nd	23rd	GROUND COVERAGE	TOTAL FAR AREA	No. Of Flats	No. of Person@ 5P/Flat	Parking Requirment		Mummty & Machine Room	Service Floor	FIRE ESCAPE AREA	Total Area FOR FEES
			Floors (Area in Sq.Mt.)																																			
TOWER ALREADY APPROVED - (BLOCK-A (2BHK+2BHK+STUDY) + (BLOCK-B (2BHK+STUDY & 2BHK)																																						
BLOCK - A (2 BHK + 2BHK+STUDY)	TYPICAL TOWER (1 TO 6)	AREA	394.63	372.87	342.03	352.32	352.32	352.32	352.32	352.32	352.32	352.32	352.32	352.32	352.32	352.32	352.32	352.32	352.32	352.32	352.32	366.93	384.98					394.630	6751.330	74	370	75	ECS	80.660		413	7245.45
		NO. OF FLATS		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2															
		NO. OF TOWERS ON SITE = 6																										3157.040	54010.640	592	2960	600		645.280		3308	57963.58
BLOCK - B (2BHK+ STUDY & 2BHK)	TYPICAL TOWER (1 TO 7)	AREA	1277.14	1242.85	1202.29	1238.05	1238.05	1238.05	1238.05	1238.05	1238.05	1238.05	1238.05	1238.05	1238.05	1238.05	1238.05	1238.05	1238.05	1238.05	1238.05	1230.65	1235.54					1285.691	23489.480	222	1110	225	ECS	170.000		801	24310.87
		NO. OF FLATS		10	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	8															
		NO. OF TOWERS ON SITE = 2																										2531.780	48978.590	444	2220	450		340.000		1303	48621.74
REVISED SUBMISSION APPLIED FOR TOWER - BLOCK-D (4BHK)																																						
BLOCK - D (4BHK)	TOWER (1)	AREA	1070.64	975.80	904.84	976.35	950.80	950.80	950.80	950.80	950.80	976.35	950.80	976.35	950.80	950.80	950.80	950.80	950.80	950.80	950.80	976.35	950.80	976.35	950.80	service floor	785.60 club	1070.64	21810.07	131	655	166	ECS	141.49	1312.85	1380.95	24645.38
		NO. OF FLATS		6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6													
		NO. OF TOWERS ON SITE = 1																										1070.64	21810.07	131	655	166		141.49		1380.95	24645.38
APPLIED FOR NEW TOWER SUBMISSION - BLOCK-C (4BHK)																																						
BLOCK - C (4BHK+SER)	TOWER (1)	AREA	756.19	663.69	547.87	595.71	595.71	595.71	595.71	595.71	595.71	595.71	595.71	595.71	595.71	595.71	595.71	595.71	595.71	595.71	595.71	584.51	595.71	595.71	595.71	434.68	434.29	756.19	13548.85	44	220	66	ECS	0.00	248.87	456.33	14254.05
		NO. OF FLATS		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ser/club	Terrace											
		NO. OF TOWERS ON SITE = 1																										756.19	13548.85	44	220	66		0.00		456.33	14254.05
CLUB		AREA	1163.27	585.56	577.71																							1163.27	1163.27			23	ECS	88.630			1251.90
BASEMENT-1	NOT INCLUDED IN F.A.R. AREA	AREA																										30457.750		-	-	-					30457.75
BASEMENT-2	NOT INCLUDED IN F.A.R. AREA	AREA																										10400.430		-	-	-					10400.43
TOTAL																												8676.92	137511.79	1211	6055	1306	ECS	1215.400	1561.720	6447.720	187594.91
APPLIED FOR NEW TOWER SUBMISSION - BLOCK-C (4BHK)																																						
BLOCK - C (4BHK+SER)	TOWER (1)	AREA	756.19	663.69	547.87	595.71	595.71	595.71	595.71	595.71	595.71	595.71	595.71	595.71	595.71	595.71	595.71	595.71	595.71	595.71	595.71	584.51	595.71	595.71	595.71	434.68	434.29	756.19	13548.85	44	220	66	ECS	0.00	248.87	456.33	14254.05
		NO. OF FLATS		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	ser/club	Terrace											
		NO. OF TOWERS ON SITE = 1																										756.19	13548.85	44	220	66		0.00		456.33	14254.05
OLD AREA STATEMENT OF - BLOCK-C (3BHK)																																						
BLOCK - C (4BHK+SER)	TOWER (1)	AREA	529.69	484.615	435.325	467.512	467.512	467.512	467.512	467.512	467.512	467.512	467.512	467.512	467.512	467.512	467.512	467.512	467.512	467.512	467.512	467.512						529.69	8867.64	76	380	94	ECS	105.69		394.82	9368.35
		NO. OF FLATS		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4																
		NO. OF TOWERS ON SITE = 1																										529.69	8867.64	76	380	94		105.69		394.82	9368.35

DIFFRENCE AREA FOR FEES BETWEEN OLD & NEW TOWER OF BLOCK-C 4188.36

DRAWING TITLE

REVISED SUBMISSION DRAWING
(SITE PLAN)

ARCHITECT

SCALE
AS SHOWN

DATE
OCTOBER - 2020

यह मानचित्र लखनऊ महायोजना २०३१ तथा भवन उपविधि २००८ तथा संसोधित २०१६ सम्यक शासनादेशों के अनुरूप तैयार किया गया है

CLIENT/ OWNERS

OMAXE
Turning dreams into reality

OMAXE LTD
CYBER TOWER,IIND FLOOR,TC-34/V2
VIBHUTI KHAND,GOMTI NAGAR
LUCKNOW-226001
CALL-(0522)-4913000,4000173

APURBA BORAH
Reg. Architect
CA/2013/61618

ARCHITECT'S SIGNATURES

OWNER'S SIGNATURES

DRAWING NUMBER- INT./LKO/GH-1/R-SUB-1